—:कार्यालय ज्ञापः—

शासन के पत्र सं0—30/XXX—2/2018—30 (13)/2017 दिनांक 06.02.2018 के संलग्नक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप प्रारम्भिक स्तर पर सुगम एवं दुर्गम स्थलों का चिन्हांकन, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य वार्षिक स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की गणना तथा पात्र कार्मिकों की सूची संबंधित जनपदीय अधिकारियों के कार्यालय एवं विभागीय वैबसाईड shm.uk.gov.in पर प्रदर्शित करते हुए काार्मिकों को अपने सेवा संबंधी अभिलेखों के संबंध में आपत्ति/संशोधन दर्ज कराने तथा अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किये जाने हेतु इच्छित स्थानों के संबंध में विकल्प/आवेदन किये गये हैं। अनुरोध के आधार पर किये जाने हेतु विकल्प/आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है परन्तु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विकल्प/आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 15.05.2018 तक प्राविधानानुसार नियत की गयी है। इसी क्रम में कतिपय कार्मिकों/संगठनों द्वारा अपने सेवा अभिलेखों के संबंध में आपत्ति/संशोधन व्यक्त की गयी है जिनका निस्तारण निम्नवत् किया जाता है।

क्रं0 सं0	कार्मिक/संगठन का नाम एवं आपत्ति/संशोधन का विवरण	आख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4
ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, वर्ग—1 (उद्यान विकास शाखा)			
1	उत्तराखण्ड तकनीकी संघ द्वारा पत्र दिनांक 29.04.2018 से जनपद अल्मोडा,टिहरी,चमोली, ऊधमसिंहनगर एवं कोटद्वार की शाखाओं द्वारा चिन्हांकन की सूची उपलब्ध कराते हुए संशोधित चिन्हांकन सूची जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।	इस संबंध में अवगत करना है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तर पर समिति द्वारा किये गये चिन्हांकन के अनुरूप विभाग द्वारा कार्यस्थलों का चिन्हांकन किया गया है, संघ के प्रत्योवदन के आलोक में चिन्हांकन के संबंध में संशोधन हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करने निमित्त शासन को प्रेषित किया जा चुका है।	
2	श्री बलवन्त सिंह अधिकारी, ज्ये0उ0नि0, मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय—अल्मोड़ा द्वारा वर्ष 2010 में हार्ट अटैक आने एवं पी0जी0 आई0 लखनऊ से एन0जी0ओ0 प्लास्टिक कराये जाने के संबंध में गम्भीर बिमारी को देखते हुए स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।	सम्बंधित कार्मिक सुगम स्थान पर कार्यरत है, किन्तु उनके द्वारा एन0जी0ओ0 प्लास्टिक से संबंधित उपचार के प्रपत्र उपलब्ध कराये गये हैं, ऐसी स्थिति में उक्त विषयक प्रकरण पर अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत आप छूट की श्रेणी में है।	
3	श्री भुवन चन्द्र काण्डपाल, ज्ये0उ0नि0, मशरूम कार्यालय, ज्योलीकोट—नैनीताल	श्री काण्डपाल द्वारा उल्लेख किया गया है कि उन्हें सुगम से दुर्गम हेतु पात्रता में रखा गया है असत्य है। इस संबंध में विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित सूचना के अनुसार श्री काण्डपाल छूट की श्रेणी में हैं।	
4	श्री जगदीश चन्द्र काण्डपाल, ज्ये0उ0नि0 राजभवन, उद्यान, नैनीताल द्वारा उल्लेख किया गया है कि सुगम एवं दुर्गम स्थानों का प्रकटीकरण हेतु सूची प्रकाशित नही की गयी है तथा गागर एवं रामगढ़ क्षेत्र को दुर्गम क्षेत्र	इस संबंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित चिन्हांकन की सूची के अनुसार ही दुर्गम एवं सुगम स्थलों का चिन्हांकन कर जनपदीय कार्यालयों में ई—मेल के माध्यम से सूचना प्रकाशित की गयी है तथा रामगढ़ एवं	

	गागर एवं रामगढ़ क्षेत्र को दुर्गम क्षेत्र में अंकित किया गया है।	प्रकाशित की गयी है तथा रामगढ़ एवं गागर जनपदीय अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर सुगम क्षेत्र में चिन्हित हैं। टंकण त्रृटिवश निदेशालय के चिन्हांकन में उक्त क्षेत्र दुर्गम अंकित हो गये हैं जिन्हें सुगम समझा जाय पूर्व में प्रेषित सूचना अविधिक एवं अपूर्ण है। वर्तमान में प्रकाशित सूचना के अनुसार आप पात्रता की श्रेणी में हैं। विकल्प प्राप्त नही हुआ है, फलस्वरूप गुणदोष के आधार पर समिति द्वारा विचारित किया जायेगा।	
5	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, ज्ये0उ0नि0, उद्यान सचल दल केन्द्र, बाजपुर	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह द्वारा उल्लेखित कथन विभाग द्वारा किये गये चिन्हांकन के अनुसार ही हैं तथा उनके द्वारा उल्लेखित श्री विरेन्द्र पाण्डे की बमस्यू में की गयी सेवाओं को भी सुगम में ही रखा गया है। आपका कथन मान्य न होने, के कारण आप पात्रता की श्रेणी में हैं विकल्प प्राप्त नही हुआ है, फलस्वरूप गुणदोष के आधार पर समिति द्वारा विचारित किया जायेगा।	
6	श्री हीरा सिंह अधिकारी,ज्ये0उ0नि0, राजकीय उद्यान गागर,	श्री अधिकारी द्वारा उल्लेखित कार्य स्थलों का विवरण उनके कथनानुसार उक्तवत् समझा जाय, इस प्रकार श्री अधिकारी द्वारा दुर्गम में 24 वर्ष 4 माह एवं सुगम में 8 वर्ष 4 माह की सेवा कर ली है एवं श्री अधिकारी वर्तमान में दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थान पर 1 वर्ष 2 माह से कार्यरत है, तथा सम्पूर्ण सेवा काल में 24 वर्ष 4 माह से कार्य कर चुके है, जो कि 10 वर्ष की सेवा अवधि से अधिक है। अतः अधिनियम की धारा 10 'ख' के अनुसार स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में होने के कारण गुण–दोष के आधार पर समिति द्वारा विचारित किया जायेगा तथा आपको दुर्गम से सुगम में प्रथम पृष्ठ के **शीर्षक दुर्गम से सुगम** के कम सं0–4 एवं 5 के मध्य अंकित किया जाता है।	
7	श्री ओम प्रकाश सिंह, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, मु0उ0कार्या0–हरिद्वार	श्री सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर उ0स0द0के0, कफनौल में इनकी तैनाती दिनांक 25.08.1986 से 17.07.1988 तक समझी जाय। सेवासंघो के अध्यक्ष/मंत्री को छूट के संबंध में स्थानान्तरण समिति द्वारा विचार किया जायेगा। जॅहा तक इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों को सुगम श्रेणी में रखे जाने पर त्रुटिपूर्ण अवगत कराया	

		गया है, इस संबंध में चिन्हांकन की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त इसमें अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संशोधन करने हेतु शासन सक्षम है, फलस्वरूप उक्त विषय शासन के अग्रिम आदेशों के अधीन होगा। गम्भीर रोग के विषय के संबंध में अधिनियम की धारा–3 के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है।	
8	श्री गिरीश चन्द्र जोशी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल दल केन्द्र, काण्डा/जि0उ0कार्या0–बागेश्वर	श्री जोशी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर तैनाती स्थानों को उक्तवत् समझा जाय। इस प्रकार श्री जोशी द्वारा दुर्गम क्षेत्र में कुल सेवा अधार वर्ष के आधार पर 7 वर्ष 9 माह है, तथा वर्तमान तैनाती स्थान दुर्गम क्षेत्र में 3 वर्ष से कम है, इस प्रकार श्री जोशी अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में नहीं हैं। अतः **शीर्षक सुगम से दुर्गम** के क0स0–03 पर अंकित श्री गिरीश चन्द्र जोशी, के प्रकरण को स्थानान्तरण हेतु विलोपित समझा जाय।	
9	श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल दल केन्द्र, द्वाराहाट–अल्मोडा	कथन पोषणीय नहीं है। सेवानिवृत्ति निकट होने के संबंध में प्रकरण समिति द्वारा विचारित किया जायेगा।	
10	श्री त्रिभुवन जोशी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल दल केन्द्र, सितारगंज–ऊधमसिंहनगर	श्री जोशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इनके द्वारा दुर्गम क्षेत्र में 3 वर्ष 2 माह की सेवा की है, किन्तु वर्तमान में ये सुगम क्षेत्र में कार्यरत है। अतः स्थानान्तरण हेतु पात्र होने के कारण विकल्प प्राप्त नही हुआ है फलस्वरूप मैरिट/अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप निर्णय लिया जाना है। जहॉ तक दिनांक 04.06.2018 को 55 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण करने का प्रश्न है। इस संबंध में अधिनियम के अनुसार आधार माह मई,2018 में श्री जोशी 55 वर्ष से कम आयु के है।	
11	श्री सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, ज्येष्ट उद्यान निरीक्षक, मु0मशरूम विकास अधिकारी, कार्या0–ज्योलीकोट (नैनीताल)	श्री बिष्ट द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार तैनाती स्थानों को उक्तवत् समझा जाय, इस प्रकार इनके द्वारा दुर्गम में 10 वर्ष 2 माह की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ये अधिनियम की धारा–7(ख) एवं 7 घ (2) के अनुसार छूट की श्रेणी में है। तद्नुसार **शीर्षक सुगम से दुर्गम** के क0स0–04 के अंश को विलोपित समझा जाय।	
12	श्री रघुवीर सिंह कोहली, ज्ये0उ0नि0, देहरादून	पूर्णतया छूट की श्रेणी में हैं जोकि विभागीय वैबसाईट पर अंकित है।	
सहा0वि0अधिकारी/उद्यान निरीक्षक, वर्ग–2 (उद्यान विकास शाखा)			
1	श्री केदार सिंह रावत, सहा0वि0अधि0, उद्यान सचल दल केन्द्र, बल्दियाखान–नैनीताल	श्री रावत के प्रत्यावेदन के बिन्दु सं0–03 एवं 04 में उल्लेखित कार्यस्थलों को कथनानुसार समझा जाय। किन्तु उनके	

		द्वारा लिपिक वर्गीय कार्मिकों एवं अधीनस्थ कार्मिकों के चिन्हांकन को विरोधाभाष बताया जा रहा है। इस संबंध में अवगत करना है कि अधिनियम की धारा के अनुसार पृथक–पृथक मानक होने के कारण चिन्हांकन भी तद्नुसार जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित कार्यस्थलों के अनुरूप किया गया है। यद्यपि उन्होने बिमारी के संबंध में अनुरोध किया गया है, किन्तु तद्नुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 10 'क' के अनुसार श्री रावत अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में है।	
2	श्री एन0एस0बिष्ट, सहा0वि0अधि0, अपर निदेशक, कार्यालय, देहरादून	श्री बिष्ट द्वारा की गयी आपत्ति विभाग के स्तर से की गयी चिन्हांकन के अनुरूप नही है। विकल्प प्राप्त नही हुआ है, फलस्वरूप गुणदोष के आधार पर समिति द्वारा विचारित किया जायेगा।	
3	श्री हरेन्द्र सिंह, सहा0वि0अ0, उद्यान सचल दल केन्द्र, धुमाकोट–कोटद्वार	श्री बिष्ट द्वारा उपलब्ध करायी की सूचना के क्रम में अवगत करना है कि कार्यस्थान नौगावॅ/धुमाकोट, चिन्हांकन के अनुसार सुगम क्षेत्र में है, जबकि इनके द्वारा ये क्षेत्र दुर्गम में अंकित किये गये है। इनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर इनके द्वारा वर्तमान तैनाती स्थान पर सुगम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। अतः ये सुगम से दुर्गम में स्थानान्तरण हेतु पात्र होने के कारण इनका कथन खारिज किया जाता है। कार्यस्थलों को उक्त के चिन्हांकन के अतिरिक्त उक्तवत् समझा जाय।	
4	श्री हुकम सिंह बोरा, सहा0वि0 अधिकारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, बेरीनाग–पिथौरागढ़	श्री बोरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर इनके कार्यस्थल की तैनाती को उक्तवत् समझा जाय। इस प्रकार इनके द्वारा दुर्गम क्षेत्र में 4 वर्ष 3 माह रा0पौ0, गोश्नी में की है। इस प्रकार शेष सेवा इनकी सुगम क्षेत्र में है। चिन्हांकन के संबंध में संशोधन शासन के अग्रिम आदेशों के अधीन होगा। उक्तानुसार स्थिति के कारण ये दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में विकल्प प्राप्त नही हुआ है, फलस्वरूप गुणदोष के आधार पर समिति द्वारा विचारित किया जायेगा।	
5	श्री नरेन्द्र लाल साह, सहा0वि0अधिकारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, सोमेश्वर–अल्मोड़ा	श्री साह द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना को उक्वत् समझा जाय। चिकित्सा के संबंध में आनुतोष हेतु प्रकरण समिति	

		द्वारा विचारित किया जायेगा। विकल्प प्राप्त नही हुआ है, फलस्वरूप गुणदोष के आधार पर समिति द्वारा विचारित किया जायेगा।	
6	श्री शंकर लाल कोहली, सहा0वि0 अधिकारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, जसपुर–ऊधमसिंहनगर	श्री कोहली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना को उक्तवत् समझा जाय, इस प्रकार इनकी दुर्गम में कुल सेवा 6 वर्ष 4 माह है। अतः स्थानान्तरण हेतु सुगम से दुर्गम हेतु विकल्प प्राप्त नही हुआ है, फलस्वरूप गुणदोष के आधार पर समिति द्वारा विचारित किया जायेगा।	
7	श्री गौरी दत्त जोशी, सहा0वि0 अधिकारी, मु0उ0कार्या0–अल्मोड़ा	श्री जोशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैनाती स्थानों को उक्वत् समझा जाय, किन्तु ये पूर्ववत् स्थानान्तरण की परिधि में है। विकल्प प्राप्त नही हुआ है, फलस्वरूप गुणदोष के आधार पर समिति द्वारा विचारित किया जायेगा। चिन्हांकन के संबंध में शासन के अग्रिम आदेशों के अधीन होगा।	
8	श्री किशन सिंह बिष्ट, सहा0वि0 अधिकारी, मु0उ0कार्या0–अल्मोड़ा	श्री बिष्ट द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैनाती स्थानों को उक्वत् समझा जाय, किन्तु ये पूर्ववत् स्थानान्तरण की परिधि में है। विकल्प प्राप्त नही हुआ है, फलस्वरूप गुणदोष के आधार पर समिति द्वारा विचारित किया जायेगा। चिन्हांकन के संबंध में शासन के अग्रिम आदेशों के अधीन होगा।	
9	श्री भूपेन्द्र प्रकाश जोशी, सहा0वि0अधिकारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, किमतोली–चम्पावत	श्री जोशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर उ0स0द0केन्द्र, लोहाघाट को छोड़कर सभी स्थल दुर्गम क्षेत्र में है। चूँकि वर्तमान तैनाती स्थान पर श्री जोशी दिनांक 14.05.2018 से कार्यरत है, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 10 (ख) के अनुसार दुर्गम से सुगम क्षेत्र हेतु पात्रता की श्रेणी में आने के कारण विकल्प प्राप्त नही हुआ है, फलस्वरूप गुणदोष के आधार पर समिति द्वारा विचारित किया जायेगा। उक्तानुसार स्थिति के कारण **शीर्षक दुर्गम से सुगम** के क0सं0–03 पर अंकित समझा जाय।	
10	श्री मोहन सिंह नेगी, सहा0वि0 अधिकारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, तल्ला रामगढ़–नैनीताल	श्री नेगी द्वारा कार्यास्थलों का चिन्हांकन सही करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अवगत करना है कि अधिनियम के अनुसार चिन्हांकन शासन के अग्रिम आदेशों के अधीन होगा।	
11	श्री गोपाल सिंह जलाल, उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल दल केन्द्र,	श्री जलाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना को उक्तवत् समझा जाय। इस प्रकार इनके द्वारा सम्पूर्ण सेवाकाल में	

	ज्योलीकोट–नैनीताल	26 वर्ष 7 माह की सेवा सुगम क्षेत्र में एवं 2 वर्ष 4 माह की सेवा दुर्गम क्षेत्र में की है। प्राविधानानुसार ये सुगम से दुर्गम क्षेत्र हेतु स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में होने के कारण विकल्प प्राप्त नही हुआ है, फलस्वरूप गुणदोष के आधार पर समिति द्वारा विचारित किया जायेगा। इनके द्वारा चिन्हांकन के संबंध में अवगत करना है कि इस संबंध में कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। संशोधन शासन के अग्रिम आदेशों के अधीन होगा। सेवासंघों के मंत्री पद हेतु प्रकरण समिति द्वारा विचारित किया जायेगा।	
उद्यान पर्यवेक्षक, वर्ग–3 (उद्यान विकास शाखा)			
1	श्री ताजवर सिंह, पर्यवेक्षक, उद्यान सचल दल केन्द्र, जेठा गांव कोटद्वार (पौड़ी)	इस संबंध में अवगत करना है कि श्री सिंह द्वारा देवियोखाल को दुर्गम में अंकित किया गया है जबकि इस क्षेत्र का चिन्हांकन सुगम क्षेत्र में हुआ है प्रस्तुत प्रत्यावेदन के अनुसार श्री सिंह द्वारा वर्तमान तैनाती स्थान/स्थल दुर्गम में 4 वर्ष 5 माह से अधिक की सेवा कर ली गयी है । अतः धारा 10 के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र हैं। तद्नुसार पूर्व में प्रदर्शित कार्य स्थल को संशोधित समझा जाय तथा पूर्व में प्रदर्शित सुगम से दुर्गम क्रम संख्या–7 को **दुर्गम से सुगम** के क्रम संख्या–16 एवं 17 के मध्य समझा जाय, विकल्प प्राप्त नही हुआ है, फलस्वरूप गुणदोष के आधार पर समिति द्वारा विचारित किया जायेगा।	
2	श्री गोपी चन्द्र, पर्यवेक्षक, उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार–पौडी	श्री गोपी चन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार इनके द्वारा तैनाती स्थान को उक्तवत समझा जाय, चूँकि इनके द्वारा सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थान पर आधार वर्ष में मात्र 2 माह की सेवा हो रही है, फलस्वरूप ये स्थानान्तरण हेतु पात्र न होने के कारण वैबसाईड में प्रदर्शित की गयी सूचना को **सुगम से दुर्गम** के क0सं0–18 पर अंकित को अंश को विलोपित समझा जाय।	
3	श्री नरेश कुमार, पर्यवेक्षक, उद्यान सचल दल केन्द्र, धनौरी–हरिद्वार	श्री नरेश कुमार की नियुक्ति की तिथि 06.02.2013 समझी जाय, तथा दिनांक 04.06.2016 से 27.09.2017 तक तैनाती का स्थान उ0स0द0के0 रजाखेत–टिहरी में समझी जाय।	
4	श्री आशीष खर्कवाल, पर्यवेक्षक, उ0स0द0के0, नाचनी–पिथौरागढ़	इनके द्वारा चिन्हांकन के संबंध में अवगत करना है कि इस संबंध में कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। संशोधन शासन के अग्रिम आदेशों के अधीन होगा। सेवासंघों के मंत्री पद हेतु प्रकरण समिति द्वारा विचारित किया जायेगा, किन्तु इसकी आवश्यकता नही है, क्योंकि ये पात्रता की श्रेणी में है।	

5	श्री तारा सिंह, पर्यवेक्षक, मशरूम केन्द्र, ज्योलीकोट–नैनीताल	मुख्य मशरूम विकास अधिकारी, ज्योलीकोट द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार श्री तारा सिंह के कार्यस्थलों को उक्तवत् समझा जाय। संशोधन के उपरान्त श्री तारासिंह द्वारा सुगम क्षेत्र में 20 वर्ष 1 माह दुर्गम क्षेत्र में 13 वर्ष 11 माह की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त छूट की श्रेणी में है।	

निदेशक